

अनुच्छेद 370 की निष्प्रभाविकता के पश्चात् जम्मू-कश्मीर के विभिन्न सामाजिक वर्गों को प्राप्त सामाजिक न्याय

अतुल प्रताप पाण्डेय*
प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ**

* शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)

** शोध निर्देशक एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)

सारांश (Abstract)

26 अक्टूबर, 1947 को महाराजा हरिसिंह द्वारा हस्ताक्षरित विलय-पत्र के माध्यम से जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। परन्तु इस विलय को पाकिस्तान ने स्वीकार नहीं किया और छल के माध्यम से एवं पाकिस्तानी कबाइलियों के सहयोग से जम्मू-कश्मीर पर कब्जा करने का प्रयास करता रहा। इस समस्या का शान्तिपूर्ण समाधान प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ का रुख किया और यह विचार प्रकट किया कि स्थिति सामान्य होने पर जम्मू-कश्मीर के भविष्य का फैसला जनमत संग्रह द्वारा किया जायेगा। इस समय की तात्कालिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एवं जम्मू-कश्मीरवासियों का विश्वास बनाये रखने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 17 अक्टूबर 1949 को राज्य के लिए एक विशेष प्रावधान वाला अनुच्छेद-370, अस्थायी रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया। इस विशिष्ट प्रावधान के लागू करने के समय यह उम्मीद जतायी गयी थी कि जल्द ही यह प्रावधान स्वतः ही निष्प्रभावी हो जायेगा, परन्तु एक लम्बे समय तक यह विशिष्ट प्रावधान न केवल लागू रहा वरन् जम्मू-कश्मीर सामाजिक न्याय एवं पूर्ण एकीकरण को भी प्रभावित करता रहा। अन्ततः 05 अगस्त, 2019 को केन्द्र सरकार के दृढ़ एवं दूरगामी निर्णय के माध्यम से अनुच्छेद 370 में उल्लिखित विशिष्ट प्रावधान को निष्प्रभावी कर दिया गया। समय के साथ इस निष्प्रभाविकता के सामान्य नागरिक जीवन पर, अनेक बहुआयामी प्रभाव परिलक्षित हो रहे हैं। अनेक वर्ग जो कि अनुच्छेद 370 के कारण सामाजिक न्याय से वंचित थे, उन्हें सम्मान, गरिमा एवं सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। प्रस्तुत शोध का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर के विभिन्न वर्गों को प्राप्त सामाजिक न्याय का मूल्यांकन करना है।

मूल शब्द :

अनुच्छेद 370, निष्प्रभाविकता, सामाजिक न्याय, आरक्षण, जम्मू-कश्मीर, विभिन्न वर्ग, कल्याणकारी योजनाएं

05 अगस्त 2019 को केन्द्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किये जाने के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर को दो केन्द्रशासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। इसके तहत विधायिका के साथ केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर तथा बिना विधायिका के लद्दाख का निर्माण किया गया। ऐसा किये जाने के पीछे केन्द्र सरकार का तर्क था कि केन्द्रशासित प्रदेश होने से इन राज्यों में केन्द्र प्रायोजित विकासात्मक कार्यों को गति प्राप्त होगी, जिससे यहाँ के नागरिकों का जीवन बेहतर होगा। समय के साथ अनुच्छेद 370 की निष्प्रभाविकता के अनेक सकारात्मक बहुआयामी प्रभाव उत्पन्न होने लगा, जिससे एक शान्त, खुशहाल एवं बेहतर जम्मू-कश्मीर का निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। अनुच्छेद 370 के कारण केन्द्र सरकार की योजनाएं एवं कानून प्रत्यक्षतः जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं हो पाता था, परन्तु अनुच्छेद 370 के निष्प्रभाविकता के साथ सभी केन्द्रीय योजनाएं एवं 170 कानून जम्मू-कश्मीर पर लागू कर दिये गये। इसमें से अनेक ऐसे कानून हैं, जिसके द्वारा यहां के निवासियों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है। भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर के पीर पंजाल क्षेत्र में रहने वाले पहाड़ी समुदाय एवं गुज्जर बकरवाल समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का निर्णय लिया।¹ अब इस वर्ग को शिक्षण संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्राप्त होगी। इसी के साथ-साथ अब जम्मू-कश्मीर की विधानसभा में भी अनुसूचित जनजातियों के लिए उसी प्रकार के आरक्षित स्थान होंगे, जैसी व्यवस्था अन्य राज्यों में किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर के जनजातीय विभाग के कार्यों को अधिक प्रभावी एवं उत्तरदायी बनाने का कार्य किया गया है। अब यह जनजातीय विभाग, इस क्षेत्र के विभिन्न जनजातियों के शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, प्रवासन सम्बन्धी मामलों की अधिक तत्परता के साथ निगरानी कर रहा है। इसी के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर के निवासियों के लिए अहितकर राज्य के 164 कानून, अनुच्छेद 370 की निष्प्रभाविकता के साथ-साथ निरस्त कर दिया गया, जबकि 167 कानून यथावत् रखा गया जिससे एक बेहतर सामाजिक न्याय का मार्ग प्रशस्त हुआ।

भारत विभाजन के पश्चात्, पाकिस्तान क्षेत्र में निवास करने वाले अनेक परिवारों ने अपने बेहतर भविष्य की उम्मीद में जम्मू क्षेत्र में आकर बस गये। परन्तु पश्चिमी पाकिस्तान के इन 1

लाख विस्थापित परिवारों के साथ, अनुच्छेद 370 के कारण अत्यधिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। एक लम्बे समय तक निवास करने के पश्चात् भी इनको राज्य की नागरिकता से वंचित किया गया। ये लोग राज्य विधानसभा या नगरपालिका अथवा पंचायत चुनाव में भाग नहीं ले सकते थे। ये राज्य सरकार अथवा इसकी एजेन्सियों से ऋण भी नहीं ले सकते थे। इनके बेटे-बेटी राज्य के चिकित्सा, इंजीनियरिंग अथवा कृषि महाविद्यालय में दाखिला नहीं ले सकते थे।¹² वस्तुतः पश्चिमी पाकिस्तान से आए इन शरणार्थियों को राज्य में सरकारी नौकरी तथा तकनीकी शिक्षा के लिए स्थायी निवास का प्रमाण-पत्र आवश्यक था, जो कि इनको नागरिकता न होने के कारण नहीं दिया गया। परन्तु अनुच्छेद 370 की निष्प्रभाविकता के पश्चात् इन विस्थापित लोगों को स्थायी निवास प्रमाण-पत्र प्रदान कर दिया गया। अब ये आसानी से सरकारी नौकरियां, तकनीकी शिक्षा तथा अन्य राज्य प्रदत्त सुविधाएं व कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार पश्चिमी पाकिस्तान से भारत आए शरणार्थियों के लिए अनुच्छेद 370 का निष्प्रभावी होना, उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण बना और एक संवेदनशील सामाजिक न्याय का निर्माण हुआ।

1957 में जम्मू-कश्मीर के प्रधानमंत्री बक्शी गुलाम मुहम्मद थे। इसी समय जम्मू-कश्मीर के सफाई कर्मचारियों ने अपने वेतन, सेवा शर्तों, कार्य परिस्थितियों एवं कुछ अन्य सुधार से सम्बन्धित मुद्दों को उठाकर, सरकार के समक्ष अनुरोध किया। राज्य सरकार के ध्यान न देने पर इन सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दिया। इसके बाद भी सरकार ने इन सफाई कर्मचारियों को संतुष्ट करने का प्रयास नहीं किया। जम्मू-कश्मीर के प्रधानमंत्री बक्शी गुलाम मोहम्मद ने पंजाब के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरों से संपर्क किया और अन्ततः यह निर्णय लिया गया कि पंजाब के गुरुदासपुर, अमृतसर, जालंधर आदि जिलों के सफाई कर्मचारियों को इस क्षेत्र में बसाया जायेगा एवं सफाई कर्मचारी के रूप में इनको सरकारी नौकरी दे दी जायेगी। पंजाब से जम्मू-कश्मीर में बसाये गये ये सफाईकर्मी वाल्मीकि समुदाय के थे, जो कि एक बेहतर सरकारी नौकरी एवं उज्ज्वल भविष्य की अपेक्षा में इस क्षेत्र में बस गये। धीरे-धीरे इन वाल्मीकि समुदाय के लोगों की संख्या 2.5 लाख से भी ज्यादा हो गयी।

लेकिन अनुच्छेद 370 के कारण यह वर्ग एक लम्बे समय तक भेदभाव का शिकार रहा। इन वाल्मीकि समुदाय के लोगों के लिए राज्य के स्थायी निवास का प्रमाण-पत्र भी अलग तरह से

बनाया जाता था, जिस पर अंकित था कि वह केवल सफाई सेवक की नौकरी के लिए ही मान्य है।³ विशुद्ध रूप से जम्मू-कश्मीर राज्य का स्थायी निवास प्रमाण-पत्र न होने के कारण इन वाल्मीकि समुदाय के लोगों को राज्य के स्थायी निवासियों के लिए विश्वविद्यालयों में आरक्षित सीटें, छात्रवृत्तियां एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती थी। इस प्रकार से ये न तो व्यवस्थित रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त न कर पाते थे और न ही सम्मानजनक सरकारी नौकरियां। राज्य द्वारा प्रदत्त कल्याणकारी सुविधाएं व योजनाएं एवं ऋण का लाभ भी इन वाल्मीकि समुदाय के लोगों को प्राप्त नहीं होता था। इन सब कारणों से इन वाल्मीकि समुदाय के बच्चे सिर्फ नगरपालिका में सफाई कर्मचारी के कार्य तक सीमित हो जाते थे और इनका सार्वभौमिक विकास, अत्यधिक प्रभावित होता था। इन लोगों को सिर्फ लोकसभा चुनाव में ही मताधिकार का अधिकार प्राप्त था, स्थानीय तथा विधानसभा चुनाव में इन्हें मताधिकार से वंचित रखा गया था। अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने से इन वाल्मीकि समुदाय के लोगों के जीवन में आयी ये बाधाएं दूर हो गयी तथा इन्हें उसी प्रकार के अधिकार एवं सुविधाएं प्राप्त हुई जैसे जम्मू-कश्मीर क्षेत्र के अन्य निवासी प्राप्त कर रहे हैं। वाल्मीकि समुदाय के जीवन स्तर को बेहतर बनाने उद्देश्य से अब आधिकारिक तौर पर इन्हें अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कर लिया गया है। अब ये लोग भी शिक्षण संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्राप्त कर रहे हैं और अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं।

जम्मू एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों में निवास करने वाले गोरखा समुदाय भी एक लम्बे समय तक अनुच्छेद 370 के कारण उपेक्षा के शिकार रहे। इन गोरखा समुदाय के लोगों को महाराजा गुलाब सिंह ने इनके अद्भुत वीरता, सैन्य कौशल एवं विश्वसनीयता को देखते हुए अपने सैन्य व्यवस्था में शामिल किया था। ये दशकों तक डोगरा सेना की तरफ से पूरी निष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता के साथ लड़ाई लड़े थे फिर भी इन्हें जम्मू-कश्मीर राज्य में स्थायी नागरिकता का प्रमाण न होने के कारण समान नागरिकता से वंचित किया गया। गोरखा समुदाय के लोगों के लिए यह निर्धारित कर दिया गया था कि वे चौकीदारी के अलावा अन्य कोई भी सरकारी नौकरी नहीं कर सकते थे। राज्य की स्थायी नौकरी, तकनीकी शिक्षा, सरकार प्रदत्त सुविधाओं एवं कल्याणकारी योजनाओं, स्थानीय तथा विधानसभा के चुनाव से इस समुदाय के लोगों को भी एक लम्बे समय तक वंचित रखा गया। इस प्रकार से पिछले 200 वर्षों से निवास करने के बाद भी

गोरखा समुदाय अत्यधिक उपेक्षा का शिकार रहा। अनुच्छेद 370 की निष्प्रभाविकता के पश्चात् इन तमाम वंचित वर्गों के लिए प्रथम बार एक सुनहरे भविष्य की कल्पना साकार हुआ। 31 मार्च, 2020 को केन्द्र सरकार ने डोमिसाइल नियमों के लिए एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया कि “कोई भी व्यक्ति जो पिछले 15 साल से केन्द्रशासित प्रदेश में रह रहा है या जिसने 07 साल तक कश्मीर में पढ़ाई की है और 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा दी है, वह डोमिसाइल का दर्जा हासिल करने का पात्र है। इसी के साथ-साथ जिन लोगों ने सरकार के लिए कम-से-कम 10 साल काम किया है, वे सभी नई व्यवस्था से लाभ पाने के पात्र हैं।⁴ केन्द्र सरकार ने अधिवास प्रमाण-पत्र जल्द-से-जल्द बनाने के उद्देश्य से यह प्रावधान बनाया कि इन वंचित वर्गों के आवेदन करने के 15 दिनों की अवधि के भीतर प्रमाण-पत्र निर्गत करना होगा। यदि इस निर्धारित समय के भीतर अधिवास प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं होता है तो आवेदक के पास यह अधिकार होगा कि वह अपीलीय अधिकारी से सम्पर्क कर सकता है। अपीलीय अधिकारी को सात दिनों के भीतर अधिवास प्रमाण-पत्र निर्गत करवाना होगा। यदि वह सात दिनों के भीतर अधिवास प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं करवा पा रहा है तो उससे 50,000 रुपये जुर्माना के रूप में लिया जायेगा, जो कि उस अधिकारी के वेतन से काटकर वसूला जायेगा। जम्मू-कश्मीर में 2020 में लागू डोमिसाइल के नये कानून के तहत अब तक लाखों लोगों को अधिवास प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुका है, अब ये लोग सम्मान एवं गरिमा के साथ जम्मू-कश्मीर में निवास कर सकते हैं। इस प्रकार से गुज्जर बकरवाल, पश्चिमी पाकिस्तान से आये शरणार्थी, वाल्मीकि समुदाय की तरह ही गोरखा समुदाय के लोगों को भी अनुच्छेद 370 की निष्प्रभाविकता के साथ सामाजिक न्याय प्राप्त हुआ।

अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू-कश्मीर की महिलाएं भी एक लम्बे समय तक सामाजिक न्याय से वंचित रही थीं। जम्मू-कश्मीर के स्थायी नागरिकता कानून में यह प्रावधान किया गया था कि, “अगर जम्मू-कश्मीर की किसी लड़की की शादी, राज्य से बाहर हो जाए तो उसके राज्य सम्बन्धी अधिकार समाप्त हो जाएंगे। उसके स्थायी निवास प्रमाण-पत्र पर लिखा होता था “शादी तक मान्य”। राज्य से बाहर शादी होते ही उसके सारे अधिकार भी समाप्त हो जाते थे। उच्च न्यायालय ने एक याचिका के आधार पर लड़कियों के अधिकार तो सीमित रूप से सुरक्षित कर दिये लेकिन उस लड़की के बच्चों को वहाँ कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता था। अगर उस लड़की के पास कोई जायदाद है तो उसकी मृत्यु के बाद वह राज्य को प्राप्त हो जाएगी।⁵ इस प्रकार से

जम्मू-कश्मीर की महिलाओं के साथ एक लम्बे समय तक भेदभाव किया गया। अनुच्छेद, 370 की निष्प्रभाविकता के साथ ही महिलाओं के लिए बनाए गए भेदभावपूर्ण कानूनों की समाप्ति हो गयी। इसी के साथ महिला सशक्तिकरण से सम्बन्धित केन्द्रीय योजनाएं भी जम्मू-कश्मीर में प्रभावी हो गया है। अनुच्छेद 370 के निष्प्रभाविकता के पश्चात् अब महिलाओं को अपने पति के मूल स्थान की चिन्ता किये बिना पूर्ण सम्पत्ति का अधिकार प्राप्त होगा। वर्तमान में जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में बाल विवाह निषेध अधिनियम (2006) और घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम (2005) लागू होने से महिलाओं के साथ सामाजिक न्याय हुआ है। जम्मू-कश्मीर क्षेत्र से तीन तलाक को अनुचित व्यवस्था बनाकर अपराध की श्रेणी में लाया गया है जिससे इस क्षेत्र की महिलाओं को समाज में सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। अब जम्मू-कश्मीर की महिलाओं के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग तक शिकायत पहुँचाना आसान हुआ है। अब राष्ट्रीय महिला आयोग को भी, जम्मू-कश्मीर की महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय की जांच तथा यथोचित कार्यवाही करना सुलभ हुआ है। महिलाओं के लिए सुलभ न्याय की स्थापना हेतु अब जम्मू-कश्मीर के कई क्षेत्रों में महिला थाना की व्यवस्था की गयी है। अनुच्छेद 370 की निष्प्रभाविकता के पश्चात् पंचायती राज संस्थाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दिया गया है। वर्तमान में जम्मू-कश्मीर में “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” जैसी योजनाओं को अत्यधिक विस्तृत रूप से प्रचारित किया जा रहा है। परिणामस्वरूप महिला साक्षरता में अत्यधिक वृद्धि हो रही है जो कि इस बात का संकेत है कि आने वाले सें महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति अत्यधिक सुदृढ़ होगी।

भारतीय संविधान में एक सकारात्मक भेदभाव के रूप में आरक्षण की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। इसका उद्देश्य कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाता है। आरक्षण के माध्यम से इन वंचित वर्गों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने का कार्य किया जाता है, परन्तु 370 के कारण जम्मू-कश्मीर में आरक्षण व्यवस्था समुचित रूप से लागू नहीं थी। किन्तु 05 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर की विशेष स्वायत्तता समाप्त करने के साथ-साथ राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत संविधान (जम्मू और कश्मीर में लागू) संशोधन आदेश, 2019 जारी किये जाने के बाद संविधान (77वां संशोधन) अधिनियम, 1955 तथा संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से भारतीय संविधान के संशोधित तथा प्रासंगिक प्रावधान लागू हो गए।⁶ इस व्यवस्था से जम्मू-कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेश में सरकारी नौकरियों के विज्ञापन में

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी दस प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। वस्तुतः भारतीय संविधान के 103वें संविधान संशोधन के द्वारा जनवरी, 2019 से पूरे भारत में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी थी। परन्तु अनुच्छेद 370 के कारण यह व्यवस्था जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं हो पाया था। इसके अतिरिक्त 77वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1995 के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के खण्ड 4 में एक नया उपखण्ड 4A जोड़ा गया था, जिसके द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी सेवाओं में पदोन्नति के मामले में आरक्षण की व्यवस्था लागू किया गया था, परन्तु यह व्यवस्था जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं थी, जिसके कारण इस क्षेत्र में निवास करने वाले गुर्जर, बकरवाल जैसी जातियों को इस प्रकार का कोई सामाजिक न्याय प्राप्त नहीं होता था। अनुच्छेद 370 के निष्प्रभाविकता के साथ 77वां संविधान संशोधन जम्मू-कश्मीर में प्रभावी हो गया है।

वस्तुतः अनुच्छेद 370 की निष्प्रभाविकता के पूर्व जम्मू-कश्मीर में आरक्षण अधिनियम, 2004 प्रभावी था। परन्तु इस प्रावधान के अन्तर्गत कई वर्गों को आरक्षण प्राप्त नहीं था और वे सामाजिक न्याय से वंचना के शिकार थे। मार्च 2024 में जम्मू-कश्मीर में उपराज्यपाल के द्वारा जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम में संशोधन की घोषणा की गयी। इस घोषणा के पश्चात् जम्मू-कश्मीर में पूर्व में लागू 43 प्रतिशत की आरक्षण व्यवस्था को बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया। यह फैसला जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल ने प्रशासनिक परिषद् की सिफारिश के आधार पर लिया। इस प्रावधान के बाद से 4 नये समुदायों को अनुसूचित जनजाति के समुदाय में शामिल किया गया। ये 04 नये समुदाय पहाड़ी (भाषाई/जातीय समूह) पड्डारी जनजाति, कोली तथा गद्दा ब्राह्मण थे। नये प्रावधान के तहत अब अनुसूचित जनजाति के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था किया गया। पिछड़ा क्षेत्र निवासी के लिए 10 प्रतिशत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु 10 प्रतिशत, अनुसूचित जाति हेतु 8 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 8 प्रतिशत तथा सीमा क्षेत्र निवासी हेतु 4 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था किया गया।

उपरोक्त अध्ययन के आधार पर हम देखते हैं कि अनुच्छेद 370 की निष्प्रभाविकता के पश्चात् जम्मू-कश्मीर के विभिन्न वर्गों को यथा-गुर्जर-बकरवाल समुदाय, पश्चिमी पाकिस्तान से आये शरणार्थी समुदाय, वाल्मीकि समुदाय, गोरखा समुदाय, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति इत्यादि के अवसरों एवं अधिकारों में व्यापक परिवर्तन हुआ। केन्द्र सरकार के अनेक

कल्याणकारी योजनाओं से इनके जीवन को गरिमामय बनाया है। अनुच्छेद 370 की निष्प्रभाविकता के पश्चात् वर्तमान में जम्मू-कश्मीर के विभिन्न वर्गों में सामाजिक न्याय सशक्त हो रहा है एवं एक सुनहरे भविष्य का निर्माण सुदृढ़ हो रहा है।

संदर्भ-ग्रंथ

1. अग्निहोत्री, डॉ० कुलदीप चंद. (2024), *“कश्मीर का रिसता घाव”*, नई दिल्ली, प्रभात प्रकाशन, प्रा०लि०, पृ०सं० 229.
2. जगमोहन, (2018), *“अशांत कश्मीर-चुनौतियां और समाधान”* (अनुवाद ओ०पी०झा), नई दिल्ली, एलाइड पब्लिशर्स प्रा०लि०, पृ०सं० 178.
3. अग्निहोत्री, डॉ० कुलदीप चंद. (2024), *“कश्मीर का रिसता घाव”*, नई दिल्ली, प्रभात प्रकाशन, प्रा०लि०, पृ०सं० 227.
4. दीक्षित, जीतेन्द्र, (2022), *“कश्मीर 370 के साथ और बाद”* (अनुवाद-भुवेन्द्र त्यागी), नई दिल्ली प्रभात, पेपरबैक्स, पृ०सं० 203.
5. बारहठ, बालू दान (2022), *“भारतीय संविधान का, अनुच्छेद 370 : प्रभाव और परिणाम”*, दिल्ली, के०के० पब्लिकेशन्स, पृ०सं० 84.
6. बघेल, वीरेन्द्र सिंह, (2023), *“अनुच्छेद 370 और 35 ए”*, नई दिल्ली, दी रीडर्स पैराडाइज, पृ०सं० 91.

Copyright & License:



© Authors retain the copyright of this article. This work is published under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), permitting unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.